बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक मई, 2011

संख्या–7/स्था0–1–3–01/2010सा0प्र0....................../भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

संशोधन

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** ।–
(i) यह नियमावली, बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी ।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(iii) यह तुरत के प्रभाव से प्रवृत होगी ।

2. **नियमावली 1951 के नियम 5 के खंड (ग) के उपखंड (iii) का प्रतिस्थापन** ।–
उक्त नियमावली के नियम–5 में खंड (ग) के उपखंड (iii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा –
"(iii) शेष 25 प्रतिशत पद, पात्र अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा संचालित लिखित एवं मौखिक जाँच के आधार पर भरे जायेंगे । उच्च न्यायालय अभ्यर्थियों के संक्षिप्त सूचीकरण के उद्‌देश्य से स्क्रीनींग टेस्ट आयोजित कर सकेगा । स्क्रीनींग टेस्ट में प्राप्त अंक लिखित जाँच में शामिल होने के लिए पात्रता का निर्धारण करने हेतु प्रासंगिक होगा । ऐसा अंक अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारण के लिए परिगणित नहीं किया जायेगा । स्क्रीनींग टेस्ट, यदि आयोजित होता है तो, स्क्रीनींग टेस्ट में प्राप्त अंक के आधार पर, नियुक्ति के लिए रिक्तियों की लगभग दस–गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को लिखित जाँच के लिए बुलाया जायेगा । रिक्तियों की लगभग तीन–गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मौखिक जाँच के लिए बुलाया जायेगा ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–7/स्था0–1–3–01/2010सा0प्र0................./सा0प्र0 पटना–15, दिनांक मई, 2011

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग पटना को (दो प्रतियों में) गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. कृप्या अधिसूचना की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–7/स्था0–1–3–01/2010सा0प्र0 5888/सा0प्र0 पटना–15, दिनांक 25 मई, 2011

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के निजी सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/5/11

सरकार के संयुक्त सचिव ।

E/D-Ajay-Adhisuchna-Section-7- 27 -

Government of Bihar
General Administration Department

NOTIFICATION

Patna, Dated May, 2011

No-7/ Astha-1-3-01/2010-G.A.D.- . . . ./ In exercise of the powers Conferred by Article-233 of the Constitution of India read with the proviso to Article-309, the Governor of Bihar is pleased to make the fallowing amendments in the Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951 on the recommendations of Hon'ble Patna High Court, Patna.

1. **Short title, extent and commencement.—**

   (i) These rules shall be called the Bihar Superior Judicial Service (Amendment) Rules, 2011;
   (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar;
   (iii) It shall come into force with immediate effect.

2. The sub clause (iii) of clause (c) in Rule-5 of the aforesaid Rules shall be substituted as follows :-

"(iii) Remaining 25 per cent of the posts shall be filled by direct recruitment from amongst the eligible Advocate on the basis of the written and Viva-voce test conducted by the High Court of Judicature, Patna. The High Court may hold screening test with a view to short-listing the candidates. The marks obtained in the screening test will be relevant for determining eligibility to appear at the written test. Such marks will not be counted for determination of comparative merit of the candidates. Candidates approximately ten times the number of vacancies for appointment, will be called for written test on the basis of the marks obtained in screening test, if held. The Candidates, approximately three times the number of vacancies for appointment, will be called for Viva-voce test on the basis of the marks obtained in written test."

By Order of the Governor of Bihar,

Sd./-
(Saryug Prasad)
Joint Secretary to the Govt.

Memo No.-7/ Astha-1-3-01/2010- G.A.D. . . . . / Patna-15, dated May, 2011

Copy forwarded to Suprintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna for publication Extra Ordinary of Government Gazette.

2. Kindly send 1,000 (one thousand) copy of this notification to the General Administration Department, Bihar, Patna at once.

Sd./-
Joint Secretary to the Govt.

Memo No.-7/ Astha-1-3-01/2010- G.A.D. 5888./ Patna-15, dated 25 May, 2011

Copy forwarded to Accountant General, Bihar Patna/Registrar General, High Court, Patna/All Department/All Head of the Department/Bihar Public Service Commission, Patna/All District & Session Judge/All Additional District & Session Judge/Principal Private Secretary to Chief Secretary, Bihar/Personal Assistant to Principal Secretary, General Administration Department, Bihar, Patna/Section Officer, Section-3, General Administration Department, Bihar, Patna/I. T. Manager, General Administration Departmnet for information and necessary action.

24/5/11

Joint Secretary to the Govt.

E/D-Ajay-Adhisuchna-Section-7- 47 -